न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
026/2021	**26.02.2021**	**07.04.2022**
(GCMS 2021/26)		

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1–श्री संदीप तरावत पुत्र बंसती लाल तरावत (विक्रेता/एफ.बी.ओ.) फर्म/मैसर्स संदीप ट्रेडर्स 80 राणा सांगा मार्केट, चित्तौड़गढ़ स्थाई निवास 17 काशी धाम मूंदडा जी की बगीची चित्तौड़गढ़

2–श्री रामलाल जाट पुत्र घीसाराम जाट (प्रोपराईटर) फर्म/मैसर्स अष्ट विनायक फूड प्रोडक्ट प्लॉट नं. 09 प्रिया नगर सरना डूंगर झोटवाडा जयपुर स्थाई निवास 216 ज्यानी मौहल्ला, रहलाना, दूदू जयपुर राज.

अप्रार्थीगण

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन लाल गूजर ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहा है, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/2020/818 दिनांक 21.01.2020 के अनुसार विशेष अभियान (दीपावली त्यौंहार) शुद्ध के लिए युद्ध अभियान दिनांक 26.10.2020 से 14.11.2020 तक आयोजित करने के संबंध में इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया है और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्षेत्र में आते हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.10.2020 को समय 11.09 ए.एम. पर मैसर्स संदीप ट्रेडर्स, राणा सांगा बाजार, चित्तौड़गढ़ पर जिला कलक्टर द्वारा गठित संयुक्त जांच दल के साथ पहुंचा। वहां पर श्री संदीप तरावत उपस्थित मिला जिसे अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री संदीप ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया एवं मांगे जाने पर मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री संदीप तरावत की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु तेल, सोयाबीन, सरसों व मूंगफली अलग-अलग ब्राण्ड व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ रिफाइंड पाम ऑयल श्री हरि गोल्ड ब्राण्ड 4 पेपर कार्टून में 449 ग्राम के 36 पैकेट प्रत्येक कार्टून में जिसके बेच नं. एवी/09 व पैकिंग दिनांक सितम्बर/2020 थी। उक्त खाद्य पदार्थ को देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का होने का अन्देशा हुआ तो श्री संदीप तरावत को फार्म नं. 5ए नियमानुसार दो प्रतियों में भरकर एफ. बी. ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ. बी. ओ. श्री संदीप तरावत व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एक प्रति एफ. बी. ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपूर्द कर विक्रेता को बताकर की यह रिफाइंड पाम ऑयल श्री हरि गोल्ड ब्राण्ड को वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय कर रहा हूँ। दूकान में पेपर कार्टून में रखे हुए रिफाइंड पाम ऑयल श्री हरि गोल्ड ब्राण्ड के पेपर कार्टून 449-449 ग्राम के ज्यों का त्यों खोलकर साफ प्रिन्टेड 4 मूल पैक रिफाइंड पाम ऑयल श्री हरि गोल्ड ब्राण्ड का चयन किया एवं वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को उनके मांगे अनुसार 244/- रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किए जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 449-449 ग्राम के 4 नग कुल मात्रा 179 ग्राम रिफाइंड पाम ऑयल श्री हरि गोल्ड ब्राण्ड को बराबर-बराबर (प्रत्येक भाग में 1-1 पैकेट कुल मात्रा 449 ग्राम) चार अलग-अलग ज्यों का त्यों साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर, डिब्बों को एयर टाईट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक, स्थान व खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एएम-1218 एवं पूर्ण विवरण अंकित कर प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किए एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये। प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप संख्या एएम-1218

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नियमानुसार चारों नमूनों पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को मौके पर पढ़ाकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी चित्तौड़गढ़ को नमूना का एक तैयार शुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया व शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सीलबन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जमा करवाने हेतु तैयार किए एवं डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा करवाया तथा डी. ओ. ने श्री रोशनलाल, सहायक कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 27.10.2020 को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भेजा तथा नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी. ओ. चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मौके पर विक्रेता ने रिफाइंड पाम ऑयल श्री हरि गोल्ड ब्राण्ड मैसर्स अष्ट विनायक फूड प्रोडक्ट प्लॉट नं. 9 प्रिया नगर, सरना डूंगर झोटवाडा, जयपुर से जरिये बिल/इनवॉयस नं. 672 दिनांक 30.09.2020 से क्रय करना बताया जिसकी छायाप्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/4490 दिनांक 02.11.2020 द्वारा ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई गई जिसकी रसीद न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्माता व वारंटी प्रतिष्ठान मैसर्स अष्ट विनायक फूड प्रोडक्ट को फर्म से संबंधित दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म ने संबंधित दस्तावेज प्रेषित कर श्री रामलाल जाट पुत्र घीसाराम जाट को उक्त फर्म का प्रोपराईटर होना बताया। अनुसंधान पूर्ण होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी के समक्ष अभियोजन स्वीकृति चाहने बाबत पत्रावली प्रस्तुत किए जाने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/ 2021/386 दिनांक 28.01.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगण ने मिसब्राण्डेड रिफाइंड पाम ऑयल श्री हरि गोल्ड ब्राण्ड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत है जिसे स्वीकार कर उक्त अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 मदन लाल गूजर, हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक, गवाह संख्या 2 पंकज मेहता पुत्र नन्दलाल मेहता व्यवहारी मैसर्स आदिनाथ एजेन्सीज 77 राणा सांगा बाजार, चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 3 श्री शिवराम चौधरी पुत्र पांचुराम प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली होकर रेकार्ड पर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सैयद् मोहम्मद हफीज ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। जवाब पेश करने के पश्चात् अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया कि उन्हें जो नोटिस जांच रिपोर्ट के आधार पर मिला है वह काबिले निरस्त योग्य है खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मानक स्तर की जांच के लिए रिफाइंड पाम ऑयल श्री हरि गोल्ड ब्राण्ड का जो नमूना लिया वो मानक स्तर का ही पाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सील पैक अवस्था के लिए गये नमूने पर जो जानकारी यथा खाद्य पदार्थ का नाम एवं ब्राण्ड का नाम, पैकेट का नाम व पता, पैकिंग दिनांक, बैच नम्बर, बेस्ट बिफोर, वेजिटेरियन का हरा लोगो, न्यूट्रीशनल सूचना, बार कोड तथा एफएसएसएआई लाईसेंस नम्बर आदि होनी चाहिए वो समस्त जानकारी कानून अनुसार दी हुई थी। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला मिसब्राण्ड का अप्रार्थीगण के खिलाफ नहीं बनता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना किये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से 6 तक से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 7 एवं 8 नमूना क्रय रसीद एवं फार्म नम्बर 5 ए की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ रिफाइंड पाम ऑयल श्री हरि गोल्ड ब्राण्ड का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 7 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 9 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 26.10.2020 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 9 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 26.10.2020 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइंड पाम ऑयल श्री हरि गोल्ड ब्राण्ड जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1218** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 53 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 13 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पत्रवाहक के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-1218** मय लिफाफे के जमा कराये गये जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 13 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 14 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पत्रवाहक श्री रोशनलाल द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 27.10.2020 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(**ii**) एवं 2.4.1(10)(**iii**) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 15 का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 17 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2020/4490 दिनांक 02.11.2020 से अप्रार्थीगण को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 202/ACT/2020/210 Dated 27-10-2020** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 202/ACT/2020/210 Dated 27-10-2020** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन लाल गूजर द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 53 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ, उक्त नमूना दिनांक 27.10.2020 को जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **The sample of Kitchen Special Refined Palm oil (श्री hari Gold) bearing code no. and serial no. AM-1218 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O., of District Chittorgarh Is misbranded food. The sample is misbranded Food under section 3(1)(Zf)(C)(i) of the Food Safety and Standards Act 2006.** उक्त नमूना जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1218** रिफाइंड पाम ऑयल श्री हरि गोल्ड ब्राण्ड खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(Zf)(C)(i)** के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक/एफएसएसए/2020/4490 दिनांक 02.11.2020 से अप्रार्थीगण को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2021/386

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 28.01.2021 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है एवं यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप (मिसब्राण्ड) है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है एवं निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है अथवा नहीं, किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है।

अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षीगण/अप्रार्थीगण जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 श्री संदीप कुमार तरावत पुत्र बसंती लाल तरावत (विक्रेता/एफ.बी.ओ.) मैसर्स संदीप ट्रेडर्स 80 राणा सांगा बाजार, चित्तौड़गढ़ एवं अप्रार्थी संख्या 2 श्री रामलाल जाट पुत्र घीसा राम जाट (प्रोपरायटर) मैसर्स अष्ट विनायक फूड प्रोडक्ट प्लॉट नं. 09 प्रिया नगर सरना डूंगर झोटवाड़ा, जयपुर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभियुक्तगण को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। अतः हमने पत्रावली का अवलोकन कर अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्तगण को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अतः अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त अप्रार्थी संख्या 1 श्री संदीप कुमार तरावत पुत्र बसंती लाल तरावत (विक्रेता/एफ.बी.ओ.) मैसर्स संदीप ट्रेडर्स 80 राणा सांगा बाजार, चित्तौड़गढ़ को राशि 10000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र एवं अप्रार्थी संख्या 2 श्री रामलाल जाट पुत्र घीसा राम जाट (प्रोपरायटर) मैसर्स अष्ट विनायक फूड प्रोडक्ट प्लॉट नं. 09 प्रिया नगर सरना डूंगर झोटवाड़ा, जयपुर को राशि 50000/– अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र कुल राशि 60000/– अक्षरे साठ हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़